उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

मिस0 पिटीशन नं0-05/2021

लखीराम हेम्ब्रम

बनाम्

संझली मुर्मू

–: आदेश :–

दिनांक 12/12/22

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं एवं सरकारी वकील को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान विविध वाद की प्रक्रिया आवेदक लखीराम हेम्ब्रम, पे0–स्व0 राबण हेम्ब्रम, सा0–हरिपुर, थाना–ललमटिया, जिला–गोड्डा के आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। आवेदक ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पत्रांक–767 दिनांक–29.04.2021 से निर्गत आदेश के विरूद्ध आवेदन दिया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–हरिपुर नं0–12 के जमाबंदी सं0–13 रकवा 50–10–06 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में जमाबंदी रैयत लखन हेम्ब्रम, पे0–संग्राम हेम्ब्रम के नाम से दर्ज है एवं कोयला आधारित क्षेत्र होने के कारण राजमहल(हुर्रा) परियोजना, ललमटिया के द्वारा उक्त जमीन का अधिग्रहित किया गया है। जिसके लिए भूमि मालिक को मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है। आवेदक महाप्रबंधक के नोटिश पर उपस्थित हुए एवं मुआवजा की राशि का दावा किया गया। लेकिन महाप्रबंधक के द्वारा उक्त जमाबंदी के जमाबंदी रैयत से संबंध होने का प्रमाण स्वरूप वंशावली के साथ कागजात की मांग की गई। उक्त के आलोक में आवेदक ने अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के समक्ष आवेदन दिया। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने जाँचोपरांत पत्रांक–38 दिनांक–19.10.2020 के द्वारा वंशावली निर्गत किया गया, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

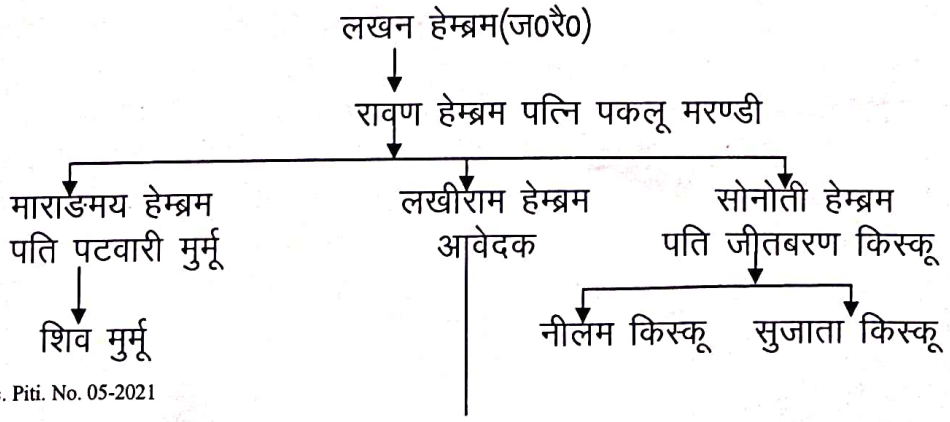

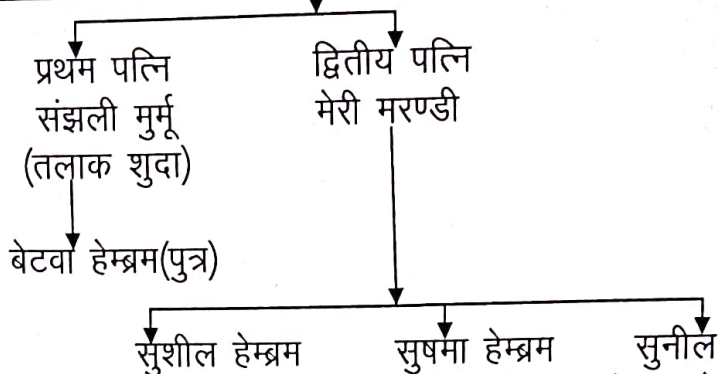

उनका आगे कथन है कि चार माह के बाद बेटवा हेम्ब्रम ने आवेदन दिया कि वह आवेदक के पहली पत्नि के पुत्र है, जिसके आधार पर अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक–110 दिनांक–24.02.2021 के द्वारा दुसरा वंशावली प्रमाण पत्र निर्गत किया गया, जिसमें तलाकशुदा शब्द को छिपाया गया। उक्त वंशावली प्रमाण पत्र भी मुख्य प्रबंधक, ललमटिया राजमहल के समक्ष जमा किया गया। मुख्य प्रबंधक, राजमहल परियोजना, ललमटिया ने वंशावली का सत्यापन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को भेजा। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा दोनों पत्नि के बीच समान रूप से मुआवजा राशि भुगतान हेतु आदेश दिया गया। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का उक्त आदेश उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर एवं कानून के विपरीत है। चूँकि जमीन का अधिग्रहण सी0बी0ए0 एक्ट 1957 के धारा–17(2) डब्लू0 धारा–6(1) एवं 8(2) के तहत किया गया है एवं उक्त अधिनियम के धारा–14 में प्रावधान है कि यदि स्वत्व या मुआवजा की राशि एवं उनके वितरण में विवाद है तो उसका निपटारा ट्रिब्यूनल न्यायाधीश के द्वारा किया जायेगा। परियोजना कार्यालय के द्वारा उक्त वाद का निपटारा हेतु ट्रिब्यूनल न्यायाधीश को भेजना चाहिए था। उनका आगे कहना है कि उभय पक्ष संथाल है और संथाल कस्टमरी कानून के अनुसार जमीन पर पुरूष के रहते हुए महिला का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही संझली मुर्मू तलाकशुदा है। इसलिए उत्तरवादी का अधिकार नहीं बनता है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का निर्गत आदेश नियम के विपरीत है और खारिज होने योग्य है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के पत्रांक–767 दिनांक–29.04.2021 के द्वारा निर्गत आदेश को रद्द करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक ने यह विविध वाद कानूनी तथ्यों को छिपाकर अपनी पत्नि और पुत्र के मुआवजा की हिस्सेदारी की राशि को हड़पने के नियत से दायर किया है। साथ ही न्यायालय के साथ भी धोखाघड़ी किया जा रहा है। चूँकि उत्तरवादी कानूनी रूप से आवेदक की विवाहित पत्नि है। उत्तरवादी को आवेदक से एक पुत्र बेटवा हेम्ब्रम है। लेकिन आवेदक ने उत्तरवादी को तलाकशुदा पत्नि के रूप में गलत तरीके से दिखाया गया है। उत्तरवादी अभी भी आवेदक की पत्नि है। तलाक के संबंध में कोई भी दस्तावेज जमा नहीं किया गया है। मामला भूमि अधिग्रहण के मुआवजा से संबंधित है, जो पत्नि को मुआवजा पाने से नहीं रोकता है। इस तरह सी0बी0ए0 एक्ट की धारा–17 में कहा गया है कि व्यक्ति को किसी भी मुआवजा का भुगतान किया जा सकता है। उत्तरवादी आवेदक के पत्नि होने के नाते हितबद्ध है और मुआवजा पाने का हकदार है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के वंशावली से भी स्पष्ट है कि

उत्तरवादी आवेदक की पत्नि है और उनसे एक पुत्र बेटवा हेम्ब्रम है। इस प्रकार अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा का आदेश विधिसंगत एवं न्यायोचित है। उन्होंने आवेदक के आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

विद्वान सरकारी वकील का कथन है कि चुकि ममला स्वत्व से संबंधित प्रतीत होता है। इसलिए आवेदक के आवेदन पर इस स्तर पर विचार करना उचित नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने आवेदक लखीराम हेम्ब्रम की प्रथम पत्नि संझली मुर्मू एवं द्वितीय पत्नि मेरी मरण्डी के बीच बराबर–बराबर अधिग्रहित जमीन के मुआवजा राशि नियमानुसार भुगतान हेतु महाप्रबंधक (प्रभारी) राजमहल खनि समूह ललमटिया को पत्र प्रेषित किया है। इस से स्पष्ट होता है कि मामला स्वत्व से सम्बंधित है और इस तरह के मामले निपटारा के लिए टिब्यूनल न्यायालय का गठन किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक का आवेदन स्वीकृत करने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर आवेदक का आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.12.30 11:33:03 +05:30
Location: 172.25.192.1